

फर्द अहकाम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ

ओमप्रकाश

बनाम

हनुमान

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 58

सन-2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख
30.05.2018	<p>वकील सायल ने यह प्रार्थना -पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर जावे। वकील सायल को स्थगन पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वह रोही मौजा 20 एनटीआर के खाता संख्या 124/108 की 3.7950 हैक व रोही मौजा चक 19 एनटीआर के खाता संख्या 154/148 की कुल 2.2770 हैक भूमि की उभयपक्षकरान रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेश दिनांक 01.08.2018 तक बनाई रखी जावे।</p> <p>इस सम्बन्ध में यदि गैरसायल को कोई उज्र व एतराज हो तो इस न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर वजह जाहिर करे अन्यथा क्यो ना यह आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म कर दिया जावे । बाद मियाद गुजरने कोई उज्र एवं एतराज नही सुना जावेगा आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 01.08.2018 को पेश हो <i>spaidy</i></p> <p align="right">पत्रावली पेश हुई श्रीमान् श्री. ओ. राजस्व को पेश हो <i>msf</i> 27-8-18</p>	
27/8	<p>वकील सायल उपस्थित गैरसायल न। को नोटिस पेश किया गैरसायल उपस्थित नही पत्रावली कार्यवाही व इन्तजार हेतु डि. 11/10/18 को पेश हो</p>	
1/18	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् श्री. ओ. राजस्व <i>मु. ह. बाट</i> को पेश हो <i>msf</i> 22.11.18</p>	
22/11/18	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् श्री. ओ. राजस्व को पेश हो <i>msf</i> 23.1.19</p>	
23/19	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् श्री. ओ. राजस्व को पेश हो <i>msf</i> 13-3-19</p>	

13.3.19

पत्रावली वेध पूर्व श्री. राज. जी. सख्त अन्त

पत्रावली वेध 13.4.19 को फेर दो

13.4.19

पत्रावली वेध पूर्व श्री. राज. जी. सख्त कुन कार्य में व्यस्त
वकील सायल उपस. के कामकाज वकील हेतु
पत्रावली दि. 25.6.19 को पत्रा है।

30.4.19

वकील सायल उपस. वकील
सायल के निर्देश पर पत्रावली
आज पत्रा में ली गई। वकील सायल
के निर्देश किया कि हम प्रकाश
को आपस में राजीनामा हो गया
है तथा हम प्रपत्र-चलाना नहीं
पाएते हैं। अतः प्रपत्र खारिज
प्रकारमात्र जारी वकील सायल के
निर्देश पर प्रपत्र 21.4.19 A
खारिज किया जाता है। सायल
की पहचान ही भरत सिंह
वकील रड. ने की है। पत्रावली
मन्वट से कर दोकर उपस. द्वारा खारिज
है। निष्पत्त सुनाया गया।

2. नि
को प्रपत्र
पटना
21/4/19
30/4/19

उपस. अधिकारी (राजस्व)
को हट